उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-58/2019/547/92-2-19-49एम/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 22 मार्च 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद रायबरेली में प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत सडक निर्माण कार्य हेतु 38.00 लाख की बैक गारण्टी को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय ज्ञाप (दिसम्बर 2007) में उल्लिखित प्रावधानों के विरूद्ध बैक गारण्टी का सत्यापन तत्परता से न किये जाने आदि अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने श्री आदित्य प्रकाश, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता परि0-अलीगढ से शासन के पत्र सं0-2870/92-2-18-49एम/2018 दिनांक 05-11-2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो उनके पत्र दिनांक 19-11-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री आदित्य प्रकाश से मांगे गये स्पष्टीकरण, उनके बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में बैंक गारण्टी का सत्यापन माह जून 2007 में कराये जाने के समय केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय ज्ञाप (दिसम्बर 2007) का अस्तित्व में न होने, श्री आदित्य प्रकाश द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशानुरूप ससमय कार्य कराये जाने तथा बैंक गारण्टी को गलत ढंग से सत्यापित कराये जाने हेतु विभाग द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0 आई0आर0) की पुलिस विवेचना में तत्का0 बैंक शाखा प्रबंधक व ठेकेदार की संलिप्तता पाये जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री आदित्य प्रकाश पर आरोप स्थापित नही पाया गया। अतएव शासन के पत्र दिनांक 05-11-2018 द्वारा श्री आदित्य प्रकाश, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता परि0-अलीगढ के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण को बिना किसी दण्ड के निरस्त/समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-58/2019/547/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री आदित्य प्रकाश, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति अधीक्षण अभि0 परि0-अलीगढ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभि0,ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि दि0 13-11-2018 को समपन्न मा0 लोक लेखा समिति की बैठक के क्रम में उक्त स्थिति से अवगत कराते हुये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लम्बित संदर्भ को निक्षेपित/समाप्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी0के0 सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in